

जनपद सम्भल ।

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1) बी० के अनुसार जनपद सम्भल के पुलिस विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रकारी त की जाती है :-

**पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण**

पुलिस अधिनियम-1861, की धारा-३ के अनुसार जिले में पुलिस अधीक्षक उस राज्य सरकार में निहित होगा, जिसके अधीन ऐसा जिला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी भी पुलिस कर्मचारी को अधिकमित या नियंत्रित करने के लिए सक्त नहीं किया जायेगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त विकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सद्भाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना। लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

जनपद पुलिस, पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है जनपद में 01 अपर पुलिस अधीक्षक, 04 पुलिस उपाधीक्षक व 11 थानाध्यक्षों के सृजित है।

**1.1 जनपद में पुलिस का संगठन-**

जनपद में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है—

पुलिस अधीक्षक, जनपद सम्भल		
जनपद स्तर पर क्षेत्राधिकारी	सर्किल स्तर पर क्षेत्राधिकारी	थाना स्तर पर क्षेत्राधिकारी
1.अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद सम्भल ।	क्षेत्राधिकारी सम्भल	1.कोतवाली सम्भल 2.थाना नखासा 3.थाना हयातनगर 4.थाना असमोली
	क्षेत्राधिकारी चन्दौसी	5.कोतवाली चन्दौसी 6.थाना बनियाठेर 7.थाना कुढ़फतेहगढ़ 8.थाना बहजोई
	क्षेत्राधिकारी गुन्नौर	9.कोतवाली गुन्नौर 10.थाना धनारी 11.थाना रजपुरा
	क्षेत्राधिकारी लाईन	12.पुलिस लाईन / पुलिस कार्यालय

1.2

## जनपद में स्थित विभिन्न ईकाईयों के कार्यों के पर्यवेक्षण अधिकारी

क्र० सं०	ईकाई का नाम	पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकारी	पर्यवेक्षक अधीक्षक	पुलिस
1.	पुलिस रेडियो भाखा	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक	
2.	स्थानिय अभिसूचना ईकाई	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक	
3.	यातायात पुलिस	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक	
4.	वी0आई0पी0	अपर पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक	
5.	पुलिस लाईन	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक	
6.	भवन	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक	
7.	पत्र व्यवहार भाखा	अपर पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक	
8.	नगर नियंत्रण कक्ष	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक	
9.	फायर सर्विस सम्बल	क्षेत्राधिकारी सम्बल	पुलिस अधीक्षक	
10.	फायर सर्विस चन्दौसी	क्षेत्राधिकारी चन्दौसी	पुलिस अधीक्षक	
11.	फायर सर्विस गुन्नौर	क्षेत्राधिकारी गुन्नौर	पुलिस अधीक्षक	
12.	आंकिक भाखा	क्षेत्राधिकारी चन्दौसी	पुलिस अधीक्षक	
13.	अपराध भाखा	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक	
14.	महिला सहायता प्रकोश्ठ	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक	
15.	सिटीजन चार्टर	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक	
16.	वि शेष जाँच प्रकोश्ठ	क्षेत्राधिकारी पुलिस लाईन	पुलिस अधीक्षक	

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ रहेगा और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदे गों एवं वारण्टों का पालन एवं निस्पादन करें, लोक भान्ति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधों व लोक अवदूशण का निवारण करें, अपराधियों का पता लगाये और नयायालय के समक्ष लाये।

### 2. अधिकारियों और कर्मचारियों की भावितयों एवं कर्तव्य

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेन, द०प्र०सं०, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न भासनादे गों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य है :—

#### 2.1 पुलिस अधिनियम

धारा	अधिकारियों और कर्मचारियों की भावितयां एवं कर्तव्य
7	आन्तरिक अनु ासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्थ पदों के एसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की भावित होती है जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में फ़िल एवं उपेक्षावान पाये जायें।
17	वि शेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या भान्ति भगं हुयी हो या होने की गम्भीर सम्भावना हो वि शेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की भावित होती है।
22	पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ माने जाते हैं तथा उन्हें जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है।
23	प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदे गों का पालन व निस्पादन करें, लोक भान्ति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधियों का पता लगाये

	तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करें, जिनको गिरफ्तार करने के लिए वैधता प्राधिकृत है। तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है। इसके लिए उसे बिना वारंट किसी भाराब की दुकान, जुआ घर या भ्रश्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवे । करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा।
25	लवारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में ले तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे।
30	लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की भावित।
30क	उपरोक्त अनुमति की भार्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव का रोकने या बिखर जाने के आदे । देने की भावित।
31	सार्वजनिक सड़कों व मार्गों, आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य।
34	किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस का वध करने, उसे निर्दयता से मारने या यातना देने, पुलिस अधिकारी से यात्रियों को बाधा पहुंचाने, मार्ग पर गन्दगी व कूड़ा फेकने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों व भारीर का अप्रैश्ट प्रदर्शन करने पर किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अभिरक्षा में ले लें।
34क	उपरोक्त अपराध के भामन करने की भावित राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है।
47	ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व।

## 2.2 पुलिस रेगुलेशन

प्रस्तर	कर्तव्य
12 से 16 पुलिस अधीक्षक	<p>पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता, अनु गासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं।</p> <p>पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित हैं तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठेंगे उन्हे स्वतन्त्रापूर्वक वैचारिक संसूचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सूचना के जितने साधन होंगे तदनुरूप उनकी दक्षता होंगी। पुलिस पैनर्स से उनका सम्पर्क होना चाहिए और उन्हे विनिर्दिश्ट रिति से जिले में थानों व पुलिस लाईन का निरीक्षण करना चाहिए। आबकारी विशयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आव यक है।</p> <p>पड़ोसी जनपदो के पुलिस अधीक्षको से यथा सम्भव वर्ष में एक बार भेंट आव यक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा भासकीय आदे । की पुस्तिका मे जिले का प्रभार सौपें जाने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने संबन्धित अंतर्विश्ट अनुदे ।ों का अनुसरण किया जाना चाहिए।</p>
17 सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक	सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्दे । पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिए बाध्यकारी न हो।
18 से 23 प्रतिसार निरीक्षक	प्रतिसार निरीक्षक के रिजर्व पुलिस लाईन के भार साधक अधिकारी होते हैं जो कि जवानों की साज सज्जा, अनु गासन, प्रैक्षण के उत्तरदायी होंगे। आयुध वा बारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।
24 रिजर्व सब इन्सपेक्टर	रिजर्व सब इन्सपेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्ड एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आव यक कार्य को करते हैं।

43 से 50 थानाध्यक्ष	थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रा गासन का संचालन करता है तथा बल की सभी भाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह सभी रजिस्टरो, अभिलेखो, विवरणियों और रिपोर्टों की भुद्धता के लिए अधिनस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा। उसे क्षेत्र के सभी सभान्त व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उसे थाने की परीषि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से करते रहना चाहिए। थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कास्टेबिल थाने का भार साधक अधिकारी होगा किन्तु वह तफती । नहीं करेगा। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म नम्बर 299 भरकर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेंगे।
51	थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना , भारसाधक अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त निर्देशों को अधिनस्थों को बताना, अनवेशण करना होता है।
55 हेड मोहर्रिं	<b>हेड मोहर्रिं के कर्तव्य</b> 1.रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना। 2.हिन्दी रोकड़ बही (पुलिस फार्म नम्बर 224) 3.यदि पुलिस अधीक्षक आदे । दे तो धारा 174 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पंचायतनामा लिखना।
61 से 64 वीट आरक्षी	कान्सटेबिल नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं पर नम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम करना है। थाने पर सन्तरी डियूटी के समय वह अभिरक्षाधीन कैदियों, कोश तथा मालखाना एवं थाने के अन्य संपत्तियों की रक्षा करेगा। वीट कान्सटेबिल के रूप में संदिग्ध अपराधियों फरार अपराधी तथा खानाबदों । अपराधियों की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा।
65 से 69 स एस्ट्र पुलिस	स एस्ट्र पुलिस के रूप में खजानों, हवालातों के संरक्षक, कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल, आयुध भण्डार, अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।
79 से 83 घुड़सवार	घुड़सवार पुलिस द्वारा उत्सवों या अन्य आयोजनों में भीड़ नियंत्रण का कार्य किया जाता है।
89 से 96 चौकीदार	ग्राम चौकीदार द्वारा अपने प्रभाराधीन गाँवों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार कराने का दायित्व होता है।

### 2.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता

द0प्र0सं0 की धारा	अधिकारियों/ कर्मचारियों के कर्तव्य
36	पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से वरिश्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र में नियुक्त है उसमें सर्वत्र उन भावितयों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाता है।
41	बिना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दाओं में करने की भावितयों 1.सज्जेय अपराध की दाओं में। 2.कब्जे से गृह भेदन का उपकरण। 3.उद्घोषित अपराधी। 4.चुराई गयी सम्पत्ति की संभावना। 5.पुलिस अधिकारी के कर्तव्य व पालन में बाधा। 6.स एस्ट्र बलों का भगोड़ा। 7.भारत के बाहर भारत में दण्डनीय किया गया अपराध।

	8. छोड़े गये सिद्धदोश बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर। 9. वांछित अपराधी।
42	नाम व निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफतारी
47	उस स्थान की तला भी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविश्ट हुआ है जिसकी गिरफतारी की जानी है।
48	गिरफतार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी का उस व्यक्ति को गिरफतार करने की भावित।
49	गिरफतार किये गये व्यक्ति को उतने से अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
50	गिरफतार किये गये व्यक्ति को गिरफतार के आधारों पर जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना।
51	गिरफतार किये गये व्यक्तियों की तला भी।
52	गिरफतार किये गये व्यक्ति से अकामक आयुधों को अधिग्रहण करने की भावित।
53	पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
54	गिरफतार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
56	गिरफतार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
57	गिरफतार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध न रखना।
58	बिना वारण्ट की गिरफतारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना।
60	अभिरक्षा से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी गिरफतार करने की भावित।
100	बन्द स्थान के भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निश्पादन कर रहा है, तला भी लेने देंगे।
102	ऐसी वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की भावित जिनके सम्बन्ध में चोरी की हुई होने का सन्देह हो।
129	उपनिरीक्षक व उससे उच्च समस्त अधिकारियों को पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने की भावित।
130	ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए सास्त्र बल का प्रयोग।
131	जमाव को तितर बितर करने की सास्त्र बल के राजपत्रित अधिकारियों की भावित।
132	धारा—129, 130, 131 के अधीन सदभावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से संरक्षण।
149	प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा।
150	संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की सूचना।
151	उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफतारी का अधिकार।
152	लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार।
153	खोटे बॉट मापों का <u>निरीक्षण/अधिग्रहण</u> ।
154	संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भारसाधक अधिकारी के निर्देश ानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को नियुक्त दी जायेगी। भारसाधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक दी जा सकती है।
155	असंज्ञेय मामलों में थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला का सार सम्बन्धित पुस्तिका में

	प्रविश्ट करायेगा और इत्तिला देने वाले मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दिश्ट करेगा।
156	संज्ञेय मामलों में अन्वेशण करने की पुलिस अधिकारी को भावित।
160	अन्वेशण के अन्तर्गत साक्ष्यों की हाजरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की भावित।
161	पुलिस द्वारा साक्ष्यों का परिक्षण किये जाने की भावित।
165	अपराध के अन्वेशण के प्रयोजनों के किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तला भी ली जा सकती है जो अन्वेशण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। तला भी एवं जब्ती के कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा।
166	अन्वेशणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तला भी करवा सकता है।
167	जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेशण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की भावित।
169	साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना।
170	जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना।
172	अन्वेशण में की गयी कार्यवाहियों को केस डायरी में लेखबद्ध किया जाना।
173	अन्वेशण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा साक्षत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना।
174	आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना।
175	धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेशण के प्रयोजन से व्यक्तियों को भासन करने की भावित।
176	पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

## 2.4 सर्वोच्च न्यायालय मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी निर्देश ।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी०के० बसु बनाम पर्सी चम बंगाल राज्य के बाद निर्णय में गिरफतारी निरुद्धीकरण के प्रकरणों में पुलिस जनों के निम्नलिखित दायित्व आवधारित किये गये हैं।

1—गिरफतारी के समय गिरफतारकर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पट्टीका धारण की जानी चाहिए। गिरफतारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाये।

2—गिरफतारी की फर्द गिरफतारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के सभान्त व्यक्ति अथवा गिरफतार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफतार व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होंगे व एक प्रति उसे निः जुल्क दी जायेगी।

3—पुलिस अभिसुक्षा में उसे अपने रिपोर्ट देने वाले या भेजने वाले या उसकी गिरफतारी की सूचना उसके निकट सम्बन्धी को दी जायेगी।

4—गिरफतार किये गये व्यक्ति के रिपोर्ट देने वाले या भेजने वाले या उसकी गिरफतारी के सम्बन्ध में बताया जायेगा।

5—गिरफतार किये गये व्यक्ति से अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफतारी के सम्बन्ध में सूचित करने वह अधिकृत है।

6—गिरफतारी की सूचना को थाने के गिरफतारी रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा।

7—गिरफतार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।

8—गिरफतार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रति व्यक्ति डाक्टर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।

9—गिरफतारी के सभी अभिलेखों की प्रतियां क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जाएगी।

10—जाँच काल में गिरफतार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।

11—गिरफतारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जायेगी।

## 2.5 अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व

पुलिस महानिरीक्षक उ०प्र० परिपत्र संख्या 35/2005 दिनांक: 9 जुलाई, के द्वारा जनपद नियुक्ति के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक की भावितयों और दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

### 2.5.1 कर्तव्य

#### 2.5.1.1 संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही सम्बन्धी:-

1—संगठित अपराधियों तथा भाडे पर हत्या, फिरौती हेतु अपहरण, रोल्ड होल्डअप, बैंक डकैती, आटोलिफ्टर, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, हवाला व्यापार करने वाले, नक्सलवादी गैंग एवं राश्ट्र विरोधी तत्व, माफिया आदि को चिन्हित कर उनकी गैंगवार सूची तैयार करना एवं तत्सम्बन्धी सभी सूचनायें एकत्र कर उन्हे पंजीकृत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना।

2—पंजीकृत अपराधियों का डोजियर तैयार करना।

3—संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्ययोजना तैयार करके जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

4—संगठित अपराधियों की गिरफ्तारी होने पर विस्तृत पूछ—ताछ आख्या तैयार करना।

#### 2.5.1.2 सक्रिय एवं वांछित अपराधी सम्बन्धी:-

1—सक्रिय एवं वांछित अपराधियों की सूची तैयार करना, हिस्ट्री रीट खुलवाना, गिरफ्तारी हेतु कार्ययोजना बनाकर दबि 1 दिलवाना।

2—फॉड अपराधियों के विरुद्ध पुरस्कार घोषित करवाना।

#### 2.5.1.3 अपराधियों की अभिसूचना एकत्रिकरण:-

1—पे ओवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रिकरण हेतु स्रोत बनाना।

2—जेल में बन्द पे ओवर अपराधियों की जानकारी करना।

3—जेल से छूटने वाले पे ओवर अपराधियों की निगरानी।

4—अन्य माध्यमों से अपराधिक अभिसूचना एकत्रिकरण।

#### 2.5.1.4 वि ओश अपराधों के सम्बन्ध में:-

1—समस्त वि ओश अपराधों के घटना स्थल का निरीक्षण।

2—क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।

3—क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एस०आर० केस, राजनीतिक हत्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार के साथ हत्या, ऐसी हत्या जो सामान्य कानून को प्रभावित करती हो, डकैती, फिरौती, अपहरण हत्या सहित लूट, सनसनीखेज लूट, पुलिस अभिरक्षा से पलायन, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, गैंगस्टर एकट के केसों को छोड़कर भोश समस्त एस०आर० केस की कमागत आख्या का अनुमोदन (प्रथम व अन्तिम को छोड़कर) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

य—क्षेत्र के थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

र—फिक्स पिकेट एवं ग त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था करना।

ल—क्षेत्र के समस्त थानों का दो माह में एक बार अर्दली रूम करना।

#### 2.5.1.5 अभियोजन

न्यायालय में लंबित की प्रभावी पैरवी, पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिं की मासिक बैठक तथा से न ट्रायल अभियोगों में विमुक्ति आख्या का वि लेशण करना।

### 2.5.2 अपर पुलिस अधीक्षकों के अधिकार

#### 2.5.2.1 स्थानान्तरण सम्बन्धी:-

पुलिस महानिदे एक उ0प्र0 के अर्द्ध ासकीय पत्र संख्या एक-252-84 दिनांक: 08.01.1985 के प्रस्तर 5 के बिन्दु संख्या 4 में निहित निर्दे गो के अनुरूप कार्यवाही स्थानान्तरण के सम्बन्ध में की जायेगी।

#### 2.5.2.2 वार्षिक मन्तव्यः-

भासनादे । संख्या: 1460 / छः—पु—1—99—51 / 99 के अनुसार वार्षिक मन्तव्य का अकन करना।

#### 2.5.2.3. दण्ड सम्बन्धी—

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रचलित नियमावली के अनुरूप अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जॉच करायी जा सकती है परन्तु जॉच आख्याओं पर दण्ड पत्रावली खुलवाने का अधिकार जनपदीय पुलिस अधीक्षक का ही होगा।

### 2.6 संसद व विधानमण्डल द्वारा समय—समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और भासनादे गों द्वारा प्रदत्त भावितयों तथा उनमें अपेक्षित कर्तव्यः—

संसद व विधानमण्डल द्वारा समय—समय पर पारित अन्य अधिनियमों व भासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय समय पर निर्गत आदे गो व निर्दे गों द्वारा भी पुलिस बल को दि गा—निर्दे । न प्राप्त होते रहते हैं जिनके आधार पर पुलिस बल से अपेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

### 3. निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर

#### 3.1. अनुसंधान / विवेचना

क्र0 सं0	कार्यवाही	कार्य स्तर	अवधि
1	प्र0सू0रि0 का पंजीकरण	154 द0प्र0सं0 के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा निर्दे गानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निः जुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।	अविलम्ब
2.	साक्षियों का परीक्षण	161 द0प्र0सं0 के अनुसार	यथा निम्न
3.	अन्वेशण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	द0प्र0सं0 के अनुसार	यथा निम्न
4.	पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	वि शे अपराधों की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है।	यथा निम्न
5.	साक्ष्य का संकलन	द0प्र0सं0 के अनुसार	यथा निम्न
6.	नव गा नजरी तैयार	"	निरीक्षण के

	करना		समय
7.	अभियुक्तों की गिरफतारी	"	यथा प्रीघ्न
8.	संस्वीकृति का लिखा जाना	"	"
9.	पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना	"	"
10.	तला पी	"	"
11	निरुद्ध	"	"
12.	अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना	"	"
13.	आरोप पत्र का दाखिल करना	"	"

### **3.2 नियन्त्रण कक्ष**

जनपद के नियन्त्रण कक्ष कमाण्ड और कन्ट्रोल संघटक के रूप में जनपद के तंत्रिका तन्त्र की तरह कार्य करता है जो कानून व्यवस्था, अपराध यातायात समस्या व अन्य संगत समस्याओं की सूचना प्राप्त करता है तथा स्थानीय पुलिस को उस स्थिति से निपटने के लिए आव यक निर्दे । देता है। अन्य अपदाओं के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करता है। जनपद में वर्तमान में निम्नलिखित नियन्त्रण कक्ष स्थापित हैं।

क्रमांक संख्या	नियन्त्रण कक्ष	टेलीफोन नंबर	कार्य
1.	जिला नियन्त्रण कक्ष	05921-100	जनपद के अन्तर्गत स्थित 11 थानों में सूचारू संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिला नियन्त्रण कक्ष पुलिस लाईन परिसर में स्थित है। जनपद में आपराधिक सूचनाओं के आदान-प्रदान, वीआईपी भ्रमण कार्यक्रम तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान का उत्तरदायित्व जिला नियन्त्रण कक्ष का होता है इसके अन्तर्गत हाईवे प्रथम द्वितीय मोबाईल कार्यरत है।
2.	फायर नियन्त्रण कक्ष सम्मल	05923-234332 9454418530	जनपद में यह फायर नियन्त्रण कक्ष सम्मल में स्थापित है। अग्निकाण्ड सम्बन्धी किसी भी सूचना पर फायर नियन्त्रण कक्ष द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है।
3.	फायर नियन्त्रण कक्ष चन्दौसी	05921-250262 9454418532	जनपद में यह फायर नियन्त्रण कक्ष चन्दौसी जनपद सम्मल में स्थापित है। अग्निकाण्ड सम्बन्धी किसी भी सूचना पर फायर नियन्त्रण कक्ष द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है।
4.	फायर नियन्त्रण कक्ष गुन्नौर	9454418516	जनपद में यह फायर नियन्त्रण कक्ष गुन्नौर जनपद सम्मल में स्थापित है। अग्निकाण्ड सम्बन्धी किसी भी सूचना पर फायर नियन्त्रण कक्ष द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

इन नियन्त्रण कक्षों पर 24 घन्टे कन्ट्रोल रूम आपरेट की नियुक्ति रहती है। इन पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लागबुक में लाग किया जाता है तथा सम्बन्धित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है।

### **3.3. f) कायतों के निस्तारण की प्रक्रिया**

#### **3.3.1. थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-**

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1.	थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	थानाध्यक्ष/दिवसाधिकारी/उपस्थित कां० कलर्क द्वारा	तत्काल
2.	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले का नाम आगन्तुक रजिस्टर में अंकित करना	दिवसाधिकारी/उपस्थित कां० कलर्क द्वारा	अविलंब
3.	प्रार्थना पत्र को जनकायत रजिस्टर में अंकित करना	उपस्थित कां० कलर्क द्वारा	अविलंब
4.	जॉच अधिकारी नियुक्त करना व जॉच हेतु सौंपना	थाना प्रभारी द्वारा	1 दिवस में
5.	जॉच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जॉच करना व आव यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जॉच अधिकारी द्वारा	5 दिवस में
6.	थानाध्यक्ष द्वारा जॉच की समीक्षा करना	थानाध्यक्ष द्वारा	1 दिवस में
7.	जॉच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही, यदि आव यक हो, कराना।	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलंब
8.	जॉच रिपोर्ट का रखरखाव	सम्बन्धित कां० कलर्क द्वारा	1 वर्श तक

#### **3.3.2 पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-**

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय की प्रधान लिपिक भाखा में उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
2.	पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना	पुलिस अधीक्षक/निमित्त राजपत्रित अधिकारी	1 दिवस
3.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जॉच एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित करना	पुलिस अधीक्षक	1 दिवस
4.	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
5.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का परि लिलन कर या तो स्वयं जॉच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जॉच हेतु भेजना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	2 दिवस
6.	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० कलर्क द्वारा आर्डर बुक करना	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० कलर्क द्वा	अविलंब

7.	सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परि फ़िलन कर या तो स्वयं जॉच हेतु रखना या सम्बन्धित उपनिरीक्षक/बीट आरक्षी को जॉच हेतु भेजना	थानाध्यक्ष द्वारा	2 दिवस
8.	जॉच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जॉच करना व आव यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जॉच अधिकारी द्वारा	8 दिवस
9.	थानाध्यक्ष द्वारा जॉच रिपोर्ट की समीक्षा करके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेशित करना	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलंब
10.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जॉच सही पाये जाने पर जॉच रिपोर्ट को दाखिल दफतर किया जाना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	अविलंब
11.	जॉच रिपोर्ट का रखरखाव	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां०० कलर्क द्वारा	2 वर्श तक

3.3.3. पुलिस अधीक्षक को भासन, आयोगों व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र० सं०	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1.	पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का परि फ़िलन करके सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी या थानाध्यक्ष को जॉच हेतु आदेि त करना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	1 दिवस
2.	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व सम्बन्धित को जॉच हेतु प्रेशित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
3.	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परि फ़िलन कर स्वयं जॉच करके आव यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा	7 दिवस में
4.	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां०० कलर्क द्वारा आर्डर बुक करना	क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां०० कलर्क द्वारा	अविलंब
5.	पुलिस अधीक्षक द्वारा जॉच रिपोर्ट का परि फ़िलन करके सही पाये जाने पर सम्बन्धित को रिपोर्ट प्रेशित करना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	2 दिवस
6.	जॉच रिपोर्ट का रखरखाव	पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय के कां०० कलर्क द्वारा	2 वर्श तक

3.3.4. फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की प्रक्रिया:-

क्र० सं०	प्रतिश्ठान	पत्र/आदेि प्राप्ति का स्थान	निरीक्षण (द्वारा)	समयावधि
----------	------------	-----------------------------	-------------------	---------

1.	पेट्रोल / डीजल पम्प	जिलाधिकारी कार्यालय से	अग्नि अमन अधिकारी	15 दिवस
2.	पेटी / डीलर (फुटकर डीजल / पेट्रोल)	जिलाधिकारी जिलापूर्ति अधिकारी	प्रभारी अग्नि अमन अधिकारी	उपरोक्त
3.	गैस एजेन्सी	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
4.	विस्फोटक पदार्थ	जिलाधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
5.	सिनेमा हाल	जिलाधिकारी / मनोरंजनकरण अधिकारी कार्यालय	उपरोक्त	उपरोक्त
6.	होटल / लाज / रेस्टोरेंट धर्म गाला	जिलाधिकारी / पर्यटन अधिकारी कार्यालय	उपरोक्त	उपरोक्त
7.	व्यावसायिक भवन	कार्यालय विकास <a href="#">प्राधिकरण / आवास</a> विकास निगम	उपरोक्त	उपरोक्त
8.	फैक्ट्री	कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र	उपरोक्त	उपरोक्त

### 3.3.5 जनपद सम्बल में यातायात नियमनः—

जनपद सम्बल में यातायात डाईवर्जन करने के लिए कोई बाईपास की व्यवस्था नहीं है लेकिन श्रवण मास में ने अनल हाईवे पर कांवरियों की आपार भीड़ हो जाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग से आने वाले वाहनों के आवागमन हेतु निम्न प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। सामान्य परिस्थितियों में यातायात इर्झवर्जन श्रवण मास के प्रत्येक भानिवार की प्रातः 7–00 बजे से सोमवार की दोपहर 12–00 बजे तक प्रभावी रहता है।

#### 1—दिल्ली से मुरादाबाद की ओर जाने वाला यातायातः—

दिल्ली से लाल कुआ, (गाजियाबाद) से बुलन्द अहर से नरौरा (वाया डिबाई) से बबराला से बहजोई से चन्दौसी से मुरादाबाद भेजा जाता है।

#### 2—हापुड व मेरठ से रामपुर जाने वाला यातायातः—

हापुड व मेरठ से गढ़ के मध्य की ओर जाने वाले भारी वाहन गढ़ चौपला जनपद हापुड से डायर्ट कर बुलन्द अहर, नरौरा (जनपद बुलन्द अहर), बबराला (जनपद सम्बल), नरौरा (जनपद बुलन्द अहर) होते हुए गन्तव्य को भेजा जाता है।

#### 3—रामपुर से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायातः—

रामपुर की ओर से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को जनपद रामपुर क्षेत्रान्तर्गत भाहबाद से डायर्ट कर बिलारी (मुरादाबाद), चन्दौसी (जनपद सम्बल), बबराला (जनपद सम्बल), नरौरा (जनपद बुलन्द अहर) होते हुए गन्तव्य को भेजा जाता है।

#### 4—सम्बल से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायातः—

सम्बल से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को बहजोई, बबराला, डिबाई, बुलन्द अहर होते हुए दिल्ली भेजा जाता है।

#### 5—हसनपुर से दिल्ली की ओर जाने वाला यातायातः—

हसनपुर से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को सम्मल, बहजोई, बबराला, बुलन्द हर होते हुए दिल्ली भेजा जाता है अथवा अतरासी अमरोहा, नूरपुर/चादंपुर से हल्दौर बिजनौर, मीरापुर, मवाना, मेरठ, मोदी नगर से गाजियाबाद होते हुए दिल्ली भेजा जाता है।

**3.3.6.1 प्रमुख सचिव गृह (पुलिस) अनुभाग—2 के पत्र संख्या: 618/6-पु0-2-2006-200(3)94—टीसी दिनांक: 29.06.2006 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन**

**अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व जुर्माना**

क्र० सं०	अपराध का विवरण	धारा	अधिकतम जुर्माना व सजा
1.	मोटर चालक द्वारा बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना	3/181	250—500
2.	किसी अवयस्क द्वारा मोटर गाड़ी चलाना या उसे चलावाना	4/181	500 व 3 माह का कारावास व दोनों
3.	बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना	5/181	1000 व 3 कारावास या दोनों
4.	बिना पंजीकरण गाड़ी को चलाना	39/192	5000—10000 जुर्माना या 6 माह का कारावास या दोनों
5	बिना फिटनेस कराये गाड़ी चलाना	56/192	2000—3000 या 6 माह का कारावास या दोनों
6	परमिट के नियमों का उल्लंघन करना या बिना परमिट गाड़ी चलाना	66/192	2000—3000 या 6 माह का कारावास या दोनों
7	गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाना	112/183	400—1000
8	एक दि गा मार्गों के नियमों का उल्लंघन करना	115/194	1000—2000
9	वैधानिक प्रतिबन्धों का उल्लंघन करना या यातायात नियमों का उल्लंघन करना	115/194	1000—2000
10	भान्ति क्षेत्र में आज्ञाओं का उल्लंघन करना (वर्जित क्षेत्र)	115/194	1000—2000
11	प्रतिबन्धित क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करना	115/194	1000—2000
12	बिना किसी संकेत के स्टेयरिंग का बायी तरफ होना	120/177	100—300
13	यातायात चिन्हों का पालन न करना	119/177	100—300
14	बिना संकेत के गाड़ी चलाना	121/177	100—300
15	खतरनाक द गा में गाड़ी खड़ी करना जिससे यातायात बाधित हो	122/177	100—300
16	गाड़ी की छत बोनट पायदान पर बैठकर यात्रा करना या ले जाना	123/177	100—300
17	बिना टिकट यात्री वाहन में यात्रा करना	124/178	200—300
18	किसी दुपहिया वाहन पर दो सवारी से अधिक बैठाना	128/177	100—300
19	बिना हैल्मेट के दुपहिया वाहन चलाना	129/177	100—300
20	किसी मोटर चालक से लाइसेंस व गाड़ी के कागज मांगने पर पे न करना	130/177	150—300
21	किसी कन्डेक्टर के द्वारा उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांगने पर पे न करना	130/177	150—300
22	किसी टैक्सी या तिपहिया टैम्पों द्वारा सवारी ले जाने से इन्कार करना	178(3)	50—200

23	पुलिस अधिकारी द्वारा गाड़ी रोकने पर	132 / 179	250–500
24	स्टाप लाइन का उल्लंघन	17 / 177	100–300
25	दोशपूर्ण नम्बर प्लेट का वाहन में लगा होना	16 / 177	100–300
26	अधिक धुँआ वाहन से निकलना	190(2)	1000–2000
27	बिना इन योरेंस के वाहन चलाना	146 / 196	1000 व 3 माह का कारावास या दोनों
28	भार वाहन में पुओं को ले जाना	59 / 177	150–300
29	भार वाहन में अधिक यात्री बैठाकर चलाना	46 / 177	150–300
30	पुलिस द्वारा दिये गये संकेतों का उल्लंघन	119 / 177	100–300
31	बायें से गाड़ी को ओवरटेक करना	110 / 177	100–300
32	बेतहा ग खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना	184 / 202	1000–2000 2 वर्ष का कारावास या दोनों
33	भाराब या अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन करना	185 / 202	1000–2000 2 वर्ष का कारावास या दोनों
34	मलिक की बिना अनुमति के गाड़ी ले जाना अथवा चलाना	197 / 202	1000–2000 2 वर्ष का कारावास या दोनों
35	चालक द्वारा अपने दाहिने बैठाकर वाहन चलाना	125 / 177	100–300
36	गाड़ी के रनिंग बोर्ड में सवारी लादना, पायदान, छत पर, बोनट पर या गाड़ी के बाहर लटकाकर चलना	123 / 177	100–300

उपरोक्त धाराओं में किसी वाहन के अभिलेखों को चेक करने तथा संगत अपराध के अनुसार चालान करने की भावित जनपद के होका (प्रोन्नति वेतनमान) एवं उसके ऊपर के समस्त अधिकारियों में निहित है। अधिनियम के अन्तर्गत उक्त धाराओं के उल्लंघन पर मौके पर ही सम्बन्धित पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है। तीन प्रतियों में चालान की प्रविशिट्यां की जाती है जो कि तीन विभिन्न रंगों की होती है। लाल रंग की प्रति का न्यायालय/क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है, पीले रंग की प्रति को वाहन चालक को दिया जाता है तथा सफेद प्रति को कार्यालय में रिकार्ड के रूप में रखा जाता है। जनपद में उक्त अधिनियमों में समायोजन सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा 15 दिवस तक किया जाता है। 15 दिवस के अन्दर यदि वाहन चालक समायोजन कराने हेतु उपस्थित नहीं हाता है तो सम्बन्धित प्रपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय भेज दिये जाते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये वाहनों को निरुद्ध किया जाता है जिनका समायोजन केवल सम्बन्धित केवल सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है।

### 3.3.7 भास्त्र लाइसेंस संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया:-

(पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के आरोटी०संदे १ संख्या:वाचक-६ / २००६(निर्दे०८) दिनांक: 24.08.2006 के अनुसार)

कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
जिलाधिकारी कार्यालय से भास्त्र प्रार्थना पत्र की प्राप्ति	पुलिस अधीक्षक	कार्य दिवस/कार्यालय अवधि में किसी भी समय
सम्बन्धित थाने को अपराधिक इतिहास व आम गोहरत तथा सत्यापन हेतु भेजा जाना	सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा	07 दिवस में

डीसीआरबी द्वारा जनपद में किये गये अपराध के सम्बन्ध में जॉच किया जाना	प्रभारी डीसीआरबी	04 दिवस में
सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जॉच किया जाना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी	03 दिवस
अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा जॉच किया जाना	अपर पुलिस अधीक्षक	03 दिवस
जिलाधिकारी कार्यालय को लाइसेंस प्रार्थना पत्र संस्तुति / असंस्तुति सहित भेजा जाना	पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा	अविलंब

भास्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदक सम्बन्धित थाने में प्रार्थना पत्र देता है थानाध्यक्ष की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा भास्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्श की अवधि के प चात अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

### **3.3.8 विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया:-**

#### **3.3.8.1 प्राइवेट वेरीफिकेशन**

कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना	डी.एम. कार्यालय में वहाँ से प्रधानलिकि के पास आयेगा	कार्यालय अवधि में
चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित	आर्यर्थी द्वारा निर्धारित	अविलंब
20रु0 भुल्क के रूप में लिया जाना	भुल्क 20रु0 सम्बन्धित बैंक / ट्रेजरी में जमा कराया जाना	
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जॉच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	1 दिवस में
सम्बन्धित थाने द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	3 दिवस में
एल0आई0यू0 द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना	प्रभारी निरीक्षक एल0आई0यू0 द्वारा	6 दिवस में
चरित्र सत्यापन बाद जॉच डी.एम. कार्यालय वापस किया जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	1 दिवस में

#### **3.3.8.2. पुलिस वेरीफिकेशन**

कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
पुलिस विभाग में चयनित पुलिस कर्मियों के सत्यापन पुलिस कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जॉच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
सम्बन्धित थाने द्वारा जॉच व सत्यापन	सम्बन्धित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	3 दिवस में

<b>किया जाना</b>		
एल0आई0यू0 द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना	उपनिरीक्षक एल0आई0यू0 द्वारा	3 दिवस में
चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलंब

### 3.3.8.3. सर्विस वेरीफिके अन

<b>कार्य</b>	<b>किसके स्तर से कार्यावाही अपेक्षित</b>	<b>समय अवधि</b>
सरकारी विभाग में चयनित सरकारी कर्मियों के सत्यापन सरकारी कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जॉच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
सम्बन्धित थाने द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	3 दिवस में
एल0आई0यू0 द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना	क्षेत्राधिकारी एल0आई0यू0 द्वारा	3 दिवस में
चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलंब

### 3.3.8.4. मिलीट्री सर्विस वेरीफिके अनः—

<b>कार्य</b>	<b>किसके स्तर से कार्यावाही अपेक्षित</b>	<b>समय अवधि</b>
मिलीट्री विभाग में चयनित सैन्य कर्मियों के सत्यापन सैन्य कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जॉच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	तत्काल
सम्बन्धित थाने द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	3 दिवस में
एल0आई0यू0 द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना	उपनिरीक्षक एल0आई0यू0 द्वारा	3 दिवस में
चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलंब

### 3.3.8.5. ठेकेदारी वेरीफिके अन

<b>कार्य</b>	<b>किसके स्तर से कार्यावाही अपेक्षित</b>	<b>समय अवधि</b>
जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय भापथ—पत्र के पुलिस कार्यालय में	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में

प्राप्त होना		
चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20रु0 भुल्क के रूप में लिया जाना	सम्बन्धित द्वारा स्वयं बैंक/ट्रेजरी में जमा करना	अविलंब
चरित्र सत्यापन हेतु सम्बन्धित थाने को जाँच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलंब
सम्बन्धित थाने द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	सम्बन्धित थानाध्यक्ष/उ0नि0 द्वारा	7 दिवस में
सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा सत्यापन को संस्तुति/असंस्तुति	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	7 दिवस में
एल0आई0यू0 द्वारा जाँच व सत्यापन किया जाना	उपनिरीक्षक एल0आई0यू0 द्वारा	7 दिवस में
चरित्र सत्यापन सम्बन्धित जनपद/डी.एम. कार्यालय को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलंब

#### 4. कर्तव्य के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मापदण्डः—

##### 4.1.जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए निर्धारित किये गये मापदण्डः—

क्र0 सं0	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड
1.	अनुसंधान/विवेचना	दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप निर्धारित समय अवधि में
2.	थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आव यक कार्यवाही करना	7 दिवस में
3.	पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आव यक कार्यवाही करना	15 दिवस में
4.	पुलिस अधीक्षक को विभिन्न स्तरों प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आव यक कार्यवाही करना	12 दिवस में
5.	फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण	15 दिवस में
6.	पासपोर्ट की जाँच उ0प्र0 भासन के पत्र संख्या 616भा/छ: वीजा अनुभाग-4-2005-17/2/64/99 दिनांक: 21.10.2005 के अनुसार	20 दिवस में
7.	भास्त्र लाइसेंस की संस्तुति किया जाना	20 दिवस में
8.	प्राइवेट वेरीफिके टन	14 दिवस में
9.	पुलिस वेरीफिके टन	6 दिवस में
10.	सर्विस वेरीफिके टन	6 दिवस में
11.	मिलीट्री सर्विस वेरीफिके टन	6 दिवस में
12.	ठेकेदारी वेरीफिके टन	21 दिवस में

#### 4.2. पुलिस आचरण के सिद्धान्तः—

- 1—भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निश्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गये पूर्ण सम्मान करना।
- 2—बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रति गोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निश्पक्षता से निश्पादन करना।
- 3—पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
- 4—कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
- 5—पुलिस जन मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
- 6—पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
- 7—प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
- 8—पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सदभाव हृदय में रखना।
- 9—प्रत्येक पुलिस जन विशम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।
- 10—हृदय से विश्वास तथा, विश्वसनीयता, निश्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
- 11—पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रासादिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्य शीलता व ईमानदारी बनाये रखना।
- 12—पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुपासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।
- 13—सर्वधर्म सम्भाव एवं लोक तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सोहार्द व भाईचारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्न शील रहना।

#### 5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेखः—

क्रोसं 0 अधिनियम, नियम, रेग्युले अन का नाम

- 1—पुलिस अधिनियम 1861
- 2—भारतीय दण्ड संहिता 1861
- 3—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
- 4—उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युले अन 1861
- 5—उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861
- 6—साक्ष्य अधिनियम 1872
- 7—आमर्स एकट 1959
- 8—सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
- 9—अनुजाति व अनुजनजाति अधिनियम 1989
- 10—केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949
- 11—आवश्यक वस्तु अधिनियम 155(उत्तर प्रदेश संघ गोधन अधिनियम 1978)
- 12—चोर बाजारी नियम और आवश्यक वस्तु प्रदय अधिनियम 1980
- 13—खाद्य अपमिश्रण नियम अधिनियम 1954

- 14—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986  
15—पु अतिचार अधिनियम 1861  
16—भ्रश्टाचार निवारण अधिनियम 1988  
17—बन्दी अधिनियम 1900  
18—सर्वाजनिक जुआ अधिनियम 1867  
19—कि गोर न्याय अधिनियम 1986  
20—दहेज प्रतिशेष अधिनियम 1961  
21—राश्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980  
22—स्वापक औशधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985  
23—स्वापक औशधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988  
24—बन्दियों की फ़िनांसियल अधिनियम 1930  
25—लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980  
26—विस्फोटक अधिनियम 1884  
27—विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908  
28—कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984  
29—अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958  
30—अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956  
31—महिलाओं का अधिकार रूपण प्रति गोध अधिनियम 1986  
32—भारतीय वन अधिनियम 1927  
33—वन संरक्षण अधिनियम 1980  
34—विधि विरुद्ध किया कलाप निवारण अधिनियम 2004  
35—बन्दी न्यायालयों में उपस्थिति अधिनियम 1955  
36—विश अधिनियम 1919  
37—मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993  
38—राश्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 1994  
39—रेल अधिनियम 1989  
40—रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957  
41—रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966  
42—पुलिस बल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम 1966  
43—पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922  
44—राज्य सरकार पुलिस बलों (कानूनों का विस्तार) अधिनियम 1952  
45—केबिल दूरदर्शन नियंत्रण विनियमन अधिनियम 1995  
46—ब्याज अधिनियम 1978  
47—उत्तर प्रदेश गिरोह बन्दी और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986  
48—उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970  
49—उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999  
50—उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण नियमावली 1970  
51—उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976  
52—उत्तर प्रदेश प्रादेशीक सरकार आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948

- 53— उत्तर प्रदे । डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिरोपण 1983
- 54— उत्तर प्रदे । पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979
- 55— उत्तर प्रदे । अग्नि भासन सेवा अधिरोपण 1944
- 56— उत्तर प्रदे । अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) 1991
- 57— उत्तर प्रदे । सरकारी सेवक (अनु आसन और अपील नियमावली) 1999
- 58— उत्तर प्रदे । गोवध निवारण अधिरोपण 1955
- 59— उत्तर प्रदे । गोवध निवारण नियावली 1964
- 60— उत्तर प्रदे । गो गाला अधिरोपण 1964
- 61— उत्तर प्रदे । गो गाला नियमावली 1964
- 62— उत्तर प्रदे । गो सेवा आयोग अधिरोपण 1994
- 63— सूचना प्रौद्योगिकी अधिरोपण 2000
- 64— सूचना का अधिकार अधिरोपण 2005
- 65— वित्तीय हस्त पुस्तिका
- 66— समय—समय पर निर्गत भासनादे ।
- 67— उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश ।

इसके अतिरिक्त तत् समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्य प्रणाली को संक्षेप एवं विनियमित करती हैं।

## 6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी:-

### 6.1. विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेखः-

क्रमांक संख्या	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/ आखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अपराधों के सम्बन्ध में दी गई सूचनाएँ एवं विवेचक के सम्बन्ध में	सभी पुलिस थानों पर	तीन साल
2.	दैनिकी समान्य	सभी अभियुक्तों की गिरफतारी पुलिस अधिरोपण/कर्मचारीगण की रवानगी वापसी ड्यूटी का विवरण	सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में	एक माह सी.ओ. कार्यालय पर उसके बाद 5 साल तक पुलिस कार्यालय के रिकार्ड रूम में
3.	सभी स्टैण्डिंग आर्डर	पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधि/कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण	सभी भाखा व थानों पर	स्थायी रूप से रखा जाएगा राजपत्रित अधिकारी के आदेश पर ही नश्ट होगी
4.	भगोड़ा(मफरूर) रजिस्टर	सभी फरार अपराधियों का विवरण	सभी थानों पर	5 वर्ष
5.	रोकड़ बही	धनराशि । की आमद व खर्च का विवरण	सभी थाने/पुलिस लाइन में	एक वर्ष थाना इकाई उसके बाद 9 वर्ष तक पुलिस आफिस रिकार्ड रूम

				में
6.	आरोप पत्र	अभियोग में प्रेशित पुलिस रिपोर्ट	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
7.	चिक खुराक	अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति है	सभी पुलिस थाने पर	तीन साल
8.	356 द0प्र0सं0 के अधीन दोश सिद्ध अपराधी रजिस्टर	उक्त नियमानुसारर दोश सिद्ध अपराधियों का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो
9.	432 द0प्र0सं0 के अधीन स ार्त मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर	उक्त नियमानुसारर दोश सिद्ध अपराधियों का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो
10.	गेपनीय सप्ताहिक रिपोर्ट	थाना क्षेत्र की साम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
11.	अपराध रजिस्टर	थाना क्षेत्र में हुए अपराधिक घटनाओं का विवरण	सभी पुलिस थाने पर	पाँच साल
12.	चौकीदारों का अपराध नोट बुक	चौकीदार के ग्राम में घटित घटनाओं का विवरण	सूची चौकीदार के पास	चौकीदार को जब तक नई नोट बुक प्रदान न की जाए
13.	ग्राम अपराध रजिस्टर (रजिस्टरर नं0 8)	उस गांव में घटित होने वाले अपराध का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी रूप में
14.	डिफाल्टर रजिस्टर	कर्मचारी की त्रुटि व उसके लिए दी गई हिदायत का उल्लेख	सभी थानों/पुलिस लाईन में	एक साल पूर्ण होने के बाद
15.	केस डायरी	विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण	सभी थानों/विवेचकों के पास	पाँच साल
16.	अन्तिम रिपोर्ट	अभियोग में विवेचनोपरान्त प्रेशित रिपोर्ट	सभी थाना पर	एक साल
17.	अगुश्ठ छाप रजिस्टर	अपराधियों का नाम पता जिसका अगुश्ठछाप लिया गया है।	सभी थाना पर	स्थानी रूप में
18.	चिक गैरदस्तन्दाजी	अहस्तक्षणीय अपराधों कि सूचक	सभी थाना पर	तीन साल
19.	गिरोह रजिस्टर	पजीकृत गैगों का विवरण	सभी थाना पर व डीसीआरबी में	पूर्ण होने के पाँच साल तक
20.	मरम्मत रजिस्टर	मरम्मत के लिए प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण	सभी थाना पर	दो साल
21.	जॉचोपरान्त 'अ'	थाना क्षेत्र के दुराचारियों के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र	सभी थाना पर	तीन साल
22.	जॉच पर्ची 'ब'	थाना क्षेत्र मे मिलने वाल संदिग्ध आचरण के व्यक्तियों के लिए जारी पत्र.	सभी थानों पर	तीन साल

23.	सूची हिस्ट्री फ़िट	दुराचारियों का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी रूप से
24.	पंचायतनामा जिल्ड	अस्वभाविक मृत्यु की जाँच का विवरण	सभी थाना पर	एक साल
25.	निरीक्षण पुस्तिका	निरीक्षण का विवरण	सभी थाना पर व भाखाओं में	पाँच साल
26.	माल मसरुका रजिस्टर	चोरी/लूटी गयी एवं बरामद सम्पत्ति का विवरण	सभी थाना पर	पाँच साल
27.	रिमाण्डभीट पुलिस प्रपत्र	अभियुक्तों को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र	सभी थाना पर	एक साल
28.	मजिस्ट्रेटों के लिए निरीक्षण पुस्तिका	मजिस्ट्रेटों के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख	सभी थाना पर	पूर्णता से पाँच साल तक
29.	109 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही	संदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	सभी थाना पर	दो वर्श
30.	110 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही	अभ्यस्त अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	सभी थाना पर	दो वर्श
31.	थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका	क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनाएँ	सभी थाना पर	स्थाई
32.	परिपत्र सूचनाओं की फाईल	समस्त परिपत्र	सभी कार्यालयों में	किसी राजपत्रित अधिकरी के नश्ट किये जाने के आदे । तक
33.	परिपत्र अनुदे गो की फाईल	परिपत्रों सम्बन्धी निर्दे ।	सभी कार्यालयों में	किसी राजपत्रित अधिकरी के नश्ट किये जाने के आदे । तक
34.	अपराधी जन जातियों का रजिस्टर	अपराधी जन जातियों के सम्बन्ध में	सभी थानों पर	उनके मृत्यु तक
	सक्रिय अपराधी रजिस्टर	क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र के सक्रिय अपराधों की सूची	सभी थानों पर	निगरानी उचित समझे जाने तक
35.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	सभी थानों पर	दो वर्शों तक
36.	आर्डर बुक न्यायालय	कोर्ट प्रोसीजर की सूची	सभी थानों पर	पाँच वर्शों तक
37.	आर्डर बुक भास्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त भास्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	सभी थानों पर	पाँच वर्शों तक
38.	भवन रजिस्टर	थाने की खसरा खतौनी व भवनों के सम्बन्ध में सभी थानों पर	सभी थानों पर	स्थायी
39.	गुम जुदगी रजिस्टर	गुम जुदा व्यक्तियों के सम्बन्ध में	सभी थानों पर	स्थायी

40.	गिरफ्तारी रजिस्टर	गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना	सभी थानों पर	पाँच वर्ष
41.	जमानत रजिस्टर	दी जाने वाली जमानतों का विवरण	सभी थानों पर	पाँच वर्ष
42.	काज लिस्ट रजिस्टर	न्यायालय द्वारा अभियोजन की तिथियों व कार्यवाही का विवरण	सभी थानों पर	पाँच वर्ष
43.	जननि कायत रजिस्टर	थाना कार्यालय/अन्य कार्यालय में प्राप्त होने कायती प्रार्थना पत्र	सभी थानों/कार्यालयों पर	दो वर्ष
44.	किरायेदार सत्यापन रजिस्टर	क्षेत्र के किरायेदारों के सत्यापन के सम्बन्ध में	सभी थानों पर	स्थाई
45.	नियुक्ति रजिस्टर	थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में	सभी थानों पर	स्थाई
46.	अवका टा रजिस्टर	आकस्मिक अवका गो का विवरण	सभी कार्यालयों में	एक वर्ष

## 6.2 क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख:-

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/ आखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	अपराध रजिस्टर	सर्किल मे पंजीकृत अभियोगो व केस डायरियों का संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	पाँच वर्ष तक
2.	जेड रजिस्टर	केस डायरियों का न्यायालय भेजने के दिनांक: सहित संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थाई
3.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	दो वर्ष
4.	परिपत्र सूचनाओं की फाईल	समस्त परिपत्र	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नश्ट किये जाने के आदे टा तक
5.	आर्डर बुक भास्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त भास्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	पाँच वर्ष
6.	अवका टा रजिस्टर	आकस्मिक अवका गो का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	एक वर्ष तक
7.	विशेष अपराध पत्रावलियां	विशेष अपराधो का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थाई
8.	जॉच पत्रावलियां	होने कायतो की जॉच के सम्बन्ध में	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	पाँच वर्ष तक

### 6.3. अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख:-

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/ आखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	5 वर्श
2.	परिपत्र सूचनाओं की फाईल	समस्त परिपत्र	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	अधिकारी द्वारा नश्ट किये जाने के आदे 1 तक
3.	आर्डर बुक भास्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त भास्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	पॉच वर्श
4.	अवका 1 रजिस्टर	आकस्मिक अवका गो का विवरण	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	एक वर्श तक
5.	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	स्थाई
6.	जॉच पत्रावलियां	िकायतों की जॉच के सम्बन्ध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय	पॉच वर्श तक

### 6.3. पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख:-

क्र० सं०	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई/ आखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1.	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	प्रधान लिपिक कार्यालय में	स्थायी
2.	हिस्ट्री पीट इन्डेक्स	जनपद के दुराचारियों का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थायी
3.	पुरस्कार रजिस्टर	जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	5 वर्श
4.	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	िकायत प्रकोश्ठ कार्यालय में	5 वर्श
5.	परिपत्र सूचनाओं की फाईल	समस्त परिपत्र	प्रधान लिपिक कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नश्ट किये जाने के आदे 1 तक
6.	आर्डर बुक भास्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त भास्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	पॉच वर्श
7.	अवका 1 रजिस्टर	आकस्मिक अवका गो का विवरण	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	एक वर्श तक
8.	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के सम्बन्ध में	वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थाई
9.	सर्विस बुक / चरित्र पंजिका	समस्त रैंकों के कर्मचारियों के सेवा इतिहास	प्रधान लिपिक कार्यालय	स्थायी
10.	कै 1 बुक / पे-बिल रजिस्टर	समस्त भुगतानों के लेन देन के सम्बन्ध में	आंकिक भाखा	स्थायी

11.	आकस्मिकता रजिस्टर	निधि	आकस्मिकता निधि पर भारित व्ययों के सम्बन्ध में	आंकिक भाखा	स्थायी
12.	स्टाक रजिस्टर		सामान्य भण्डार की मदों का क्रय व वितरण	पुलिस लाईन	स्थायी
13.	हिन्दी आदे । पुस्तिका		समस्त आदे । जिनका प्रभाव वित्तिय भार पर पड़ता है	पुलिस लाईन	40 वर्षों तक

### 7. जनता की पराम । दात्री समितियां:-

क्र० सं०	समिति का नाम	समिति का गठन	भूमिका एवं दायित्व	गोशिर्यों की आवृत्ति
1.	ग्राम सुरक्षा समिति	प्रत्येक गांव में 15 से 20 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है	गांव में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकाबला करना	समय—समय पर
2.	पुलिस पेन ऑर्स बोर्ड	जनपद के पुलिस पेन ऑर्स के द्वारा गठित होती है	पुलिस पेन ऑर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना	त्रैमासिक
3.	उद्योग बन्धु	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों की बैठक	उद्योगों के विकास में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु	त्रैमासिक
4.	जिला सड़क सुरक्षा समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की समिति	दुर्घटनाओं के निवारण हेतु	त्रैमासिक
5.	जिला स्तरीय पत्रकार समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद के पत्रकारों की समिति	पत्रकारों की पुलिस से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु	त्रैमासिक
6.	भान्ति समिति	क्षेत्र के समझान्त नागरिकों की समिति	सम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने हेतु	आव यकतानुसार
7.	मेला समिति	मेले से सम्बन्धित समझान्त नागरिकों की समिति	प्रमुख मेलों को सकु ल सम्पन्न कराने हेतु	मेले के आयोजन से पूर्व
8.	संसद व विधायकगण की गोश्ठी	समस्त सांसद व विधायकगण की गोश्ठी	िकायतों के निस्तारण व सुझाव/पराम । केन्द्र	मासिक

### 8. बोर्डों, परिशदो, समितियों और अन्य निकायः—

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

### 9. जनपद सम्बल के पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टेलीफोल डायरेक्ट्री

नाम/पद पुलिस अधिकारीगण		आवास नम्बर	कार्यालय नम्बर	मोबाइल नम्बर (व्यक्तिगत)	सी0यूजी0 मोबाइल नम्बर
पुलिस अधीक्षक, जनपद सम्मल	श्री यमुना प्रसाद	05921-243118	05921-243117	—	9454400430
अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद सम्मल	श्री पंकज कुमार पाण्डेय	05923-231240	05923-233240	—	9454401093
क्षेत्राधिकारी सम्मल	श्री सुदे ठ कुमार	—	05923-230231	—	9454401546
क्षेत्राधिकारी चन्दौसी	श्री कृष्ण कान्त सरोज	—	—	—	9454401547
क्षेत्राधिकारी गुन्नौर	श्री अ गोक कुमार	—	—	—	9454401321
क्षेत्राधिकारी लाईन	श्री कृष्ण कान्त सरोज	—	—	—	9454457659
क्षेत्राधिकारी यातायात	श्री कृष्ण कान्त सरोज	—	—	—	9454457659
प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाईन	श्री चुड़ामणी जो ठी	—	—	—	9454405131
मुख्य अग्नि अमन अधिकारी	श्री प्रताप सिंह	—	—	—	7839861585
फायर सर्विस सम्मल	श्री प्रमोद कुमार भार्मा	—	—	—	9454418530
फायर सर्विस चन्दौसी	—	—	—	—	9454418532
फायर सर्विस गुन्नौर	—	—	—	—	9454418516
अभिसूचना भाखा	श्री अ गोक कुमार	—	—	—	9454405130
जिला नियंत्रण कक्ष	श्री हरिराज सादव	—	—	—	9454405190
प्रभारी निरीक्षक सम्मल	श्री धर्मपाल सिंह	—	05923-231457	—	9454404055
प्रभारी निरीक्षक नखासा	श्री अ गोक कुमार वर्मा	—	05923-234284	—	9454404053
प्रभारी निरीक्षक हयातनगर	श्री रविन्द्र प्रताप सिंह	—	05923-272307	—	9454404040
थानाध्यक्ष असमोली	श्री राके ठ कुमार	—	05923-221564	—	9454404029
प्रभारी निरीक्षक चन्दौसी	श्री ऋषिशिराम कठेरिया	—	05921-250039	—	9454404035
प्रभारी निरीक्षक बहजोई	श्री सतेन्द्र पाल भड़ाना	—	05921-243229	—	9454404030
थानाध्यक्ष बनियाठेर	श्री संजय सिंह	—	05921-255654	—	9454404031
प्रभारी निरीक्षक कुढ़फतेहगढ़	श्री सहदेव सिंह	—	05921-233147	—	9454404046
प्रभारी निरीक्षक गुन्नौर	श्री सुमन कुमार सिंह	—	05836-233477	—	9454402938
प्रभारी निरीक्षक रजपुरा	श्री देवेन्द्र सिंह धामा	—	—	—	9454402946

प्रभारी निरीक्षक धनारी	श्री रविन्द्र प्रताप सिंह	—	—	—	9454402936
------------------------	---------------------------	---	---	---	------------

**10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिकः—**

**10.1 स एस्ट्र व नागरिक पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतनः—**

क्र० सं०	पद	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1.	पुलिस अधीक्षक जनपद सम्मल	रु० 78800—209200	—	450
2.	अपर पुलिस अधीक्षक	रु० 78800—209200	800	300
3.	पुलिस उपाधीक्षक	रु० 67700—208700	800	300
4.	निरीक्षक	रु० 44900—142400	1200	188
5.	उप निरीक्षक	रु० 35400—112400	1200	188
6.	मुख्य आरक्षी	रु० 25500—81100	1500	188
7.	आरक्षी	रु० 21700—69100	1500	188
8.	अनुचर	रु० 18000—56900	1350	156

**10.2 रेडियो भाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतनः—**

क्र० सं०	पद	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1.	रेडियो निरीक्षक	44900—142400	1200	188
2.	रेडिया अनुरक्षण अधिकारी/रेडॉ केन्द्र			
3.	हैड आपरेटर	35400—112400	1200	188
4.	सहायक परिचालक	29200—92300	1500	188
5.	अनुचर/सन्दे तावाहक	19900—63200	1350	156

**10.3 फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतनः—**

क्र० सं०	पद	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
1.	मुख्य अग्नि अमन अधिकारी	44900—142400	800	188
2.	द्वितीय अग्नि अमन अधिकारी	35400—112400	1200	188
3.	लीडिंग फायर मैन/हेडफायर सर्विस	25500—81100	1500	188
4.	फायरमैन	21700—69100	1500	188
5.	अनुचर	18000—56900	1350	156

**10.4. लिपिक वर्गीय अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिकः—**

क्र० सं०	पद	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	पौष्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता	वि शेष भत्ता
1.	एस०आई० (एम०)	35400—112400	1200	188	60
2.	ए०एस०आई० (एम०)	29200—92300	1200	188	—
3.	उर्दू अनुवादक, सह	21700—69100	—	—	—

	कनिशक लिपिक				
--	-------------	--	--	--	--

**10.5. परिवहन भाष्या के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिकः—**

क्र० सं०	पद	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	पौश्टिक आहार भत्ता	वर्दी धुलाइ भत्ता	वि शेष भत्ता
1.	मुख्य आरक्षी	25500—81100	1500	188	300
2.	आरक्षी	21700—69100	1500	188	300

**10.6. स्थानीय अभिसूचना ईकाई के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिकः—**

क्र० सं०	पद	वेतनमान/वेतन मैट्रिक्स	पौश्टिक आहार भत्ता	वि शेष भत्ता
1.	निरीक्षक अभिसूचना	44900—142400	1200	2000
2.	उ0नि० अभिसूचना	35400—112400	1200	2000
3.	मुख्य आरक्षी अभिसूचना	25500—81100	1500	1000
4.	आरक्षी अभिसूचना	21700—69100	1500	1000

**11. बजट**

बजट की वर्तमान स्थिति दिनांक: 31.01.2019 तक जनपद सम्बल।

क्र० सं०	मद का नाम	प्राप्त अनुदान	व्यय अनुदान	भोश अनुदान	अन्य विवरण
1.	02—मजदूरी	285000—00	249878—00	35122—00	
2.	04—यात्रा भत्ता	5263000—00	5263000—00	—	
3.	05—स्थानान्तरण यात्रा व्यय	947000—00	946218—00	782—00	
4.	08—कार्यालय व्यय	204000—00	204000—00	—	
5.	08—कार्यालय व्यय(सीसीटीएनएस)	84084—00	84015—00	69—00	
6.	09—विधुव व्यय	3016000—00	3016000—00	—	
7.	10—जलकर / जलप्रभार	263000—00	263000—00		
8.	11—लेखन सामग्री	165000—00	165000—00		
9.	12—कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	66000—00	66000—00		
10.	13—टेलीफोन व्यय	33000—00	32073—00	927—00	
11.	15—गाडियों के डीजल पैट्रोल / अनुरक्षण पर व्यय	9391000—00	9390976—00	24—00	
12.	16— अन्य व्यवसायिक सेवाए (होमगार्ड के मानदेय के भुगतान हेतु)	37119000—00	33118850—00	150—00	
13.	17—किराया उप जुल्क एंव कर	395000—00	395000—00		
14.	20—सहायक अनुदान एवं अंदान	50000—00	0	50000—00	
15.	23—गुप्त सेवा व्यय	16000—00	16000—00		
16.	26—म रीन/सज्जा/उपकरण और संयत्र	639500—00	515210—00	124290—00	
17.	26—म रीने साज सज्जा	70000—00	0	70000—00	

	उपकरण और संयत्र				
18.	29—वार्षिक / वि शेष मरम्मत	1500000—00	1000482—00	499518—00	
19..	29—अनुरक्षण(सीसीटीएनएस अनुरक्षण हेतु)	117500—00	0	117500—00	
20.	42—अन्य व्यय (सुख सुविधा निधि)	219000—00	218995—00	620—00	
21.	42—अन्य व्यय (कल्याण निधि)	263000—00	262911—00	89—00	
22.	42—अन्य व्यय	96000—00	95970—00	30—00	
23.	45—अवका यात्रा व्यय	105000—00	105000—00		
24.	47—कम्प्यूटर अनुरक्षण पर व्यय	132800—00	132718—00	82—00	
25.	49—चिकित्सा व्यय	3864252—00	3287252—00	570000—00	

### थानो के उपयोगार्थ

1.	02—मजदूरी	276000—00	228000—00	48000—00	
2.	08—कार्यालय व्यय	396000—00	313639—00	82361—00	
3.	11—लेखन सामग्री / छपाई	154000—00	37965—00	116035—00	
4.	12—कार्यालय फर्नीचर	66000—00	28000—00	38000—00	
5.	15—गाड़ियों के डीजल <u>पेट्रोल / अनुरक्षण</u> पर व्यय	1654000—00	1653956—00	44—00	
6.	23—गुप्त सेवा व्यय	39200—00	26000—00	13200—00	
7.	29—वार्षिक / विशेष मरम्मत	561000—00	440000—00	121000—00	

### डायल-100 परियोजना हेतु

1.	15—डायल-100 गाड़ियों के <u>अनुरक्षण / सर्विस</u> पर व्यय	1790000—00	1789692—00	308—00	
2.	16—अन्य व्यवसायिक सेवाएं (होमगार्डों के मानदेय के भुगतान हेतु)	24062625—00	22414850—00	1647775—00	
3.	44—डायल-100 के प्रक्रियाएं पर व्यय	621352—00	613248—00	8104—00	

लेखा प्रश्नक / मानक मद	2018—2019 हेतु स्वीकृत अनुदान (अतिरिक्त अनुदान सहित)	अब तक हुआ कुल व्यय
1	2	3
वेतन	822667000	576832026
मंहगाई भत्ता	54248000	43303921
अन्य भत्ता	47460000	41137856
चिकित्सा व्यय	205000	3287252

### 12. सब्सिडी कार्यक्रम के निस्पादन का ढंग

वर्तमान में विभाग में काई उपादान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

### 13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्त कर्ताओं का विवरण:-

भुन्य

### 14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में सूचनाओं की उपलब्धता:-

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप निबद्ध के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

**15. सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें:-**

क्र० सं०	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1.	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	अ0पु0अ0/सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी (यदि क्षेत्राधिकारी मुख्यालय पर नहीं बैठते हैं तो सम्बन्धित थाना प्रभारी) कार्यालय	प्रातः 10 बजे से भास 17:00 बजे तक (राजकीय अवका गो को छोड़कर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3.	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिन तथा व्यक्ति की जीवन रक्षा के संबंध में 48 घण्टे
4.	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनरा गी (10 रु0 प्रथम घण्टा, प्रथम घण्टा के पाचात 5 रु0 प्रति 15 मिनट)	पुलिस कार्यालय की आंकिक भाखा में नगद	उपरोक्त
5.	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली रा गी का विवरण (10 रु0 प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निः जुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त
6.	सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्ति से सम्बन्धित परिपत्रों को कार्यालय से पंजीकृत डाक से भेजा जायेगा तथा अतिरिक्त प्रतियां होने पर अतिरिक्त भुल्क वहन करना होगा	सम्बन्धित व्यक्ति	कार्यालय समय में

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना (25000 रु0 अनधिक) भी देय होगा।

**16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम:-**

जनपद सम्बल पुलिस में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की गयी है:-

जन सूचना अधिकारी	अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद सम्बल	मो0 नं0:(सी0यू0जी0) 9454401093
सहायक जन सूचना अधिकारी	क्षेत्राधिकारी सम्बल	मो0 नं0:(सी0यू0जी0) 9454401546
	क्षेत्राधिकारी चन्दौसी	मो0 नं0:(सी0यू0जी0) 9454401547
	क्षेत्राधिकारी गुन्नौर	मो0 नं0:(सी0यू0जी0) 9454401321
	क्षेत्राधिकारी लाईन	मो0 नं0:(सी0यू0जी0) 9454457659
प्रथम अपीलीय अधिकारी	पुलिस अधीक्षक	मो0 नं0:(सी0यू0जी0) 9454400430

17. अन्य कोई विहित सूचना नहीं:-

(पंकज कुमार पाण्डेय)

अपर पुलिस अधीक्षक / जनसूचनाधिकारी  
जनपद सम्भाल |